अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 120 | श्री विजय पुरम, गुरूवार, 07 मई 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

अण्डमान में 200 से अधिक स्कूबा डाइवर्स ने पानी के भीतर बनाया रिकॉर्ड

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्कूबा डाइवर्स द्वारा दो अंडरवॉटर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (जीडब्ल्यूआर) स्थापित किए गए हैं। यह उपलब्धि केंद्रशासित प्रदेश को डाइविंग–पर्यटन गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से हासिल की गई।

"पानी के भीतर सबसे ऊँचा मानव स्तंभ" का रिकॉर्ड 3 मई को बनाया गया, जो "पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराने" के एक दिन बाद हासिल किया गया। दोनों रिकॉर्ड्स को मौके पर मौजूद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के निर्णायक द्वारा सत्यापित किया गया।

इस मानव स्तंभ में 14 स्कूबा डाइवर्स एक–दूसरे के कंधों पर खड़े होकर 22.3 मीटर ऊँचा टॉवर बनाने में सफल रहे, जो तीन मिनट तक स्थिर रहा। यह अद्भुत प्रदर्शन बंगाल की पूर्वी खाड़ी में स्थित स्वराज द्वीप के लाइटहाउस डाइव–साइट पर किया गया, जिसने 10 मीटर के निर्धारित लक्ष्य को पार कर लिया। राधानगर तट के उथले जल में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन में 200 से अधिक स्कूबा डाइवर्स ने भाग लिया, जिन्होंने समुद्र की सतह के नीचे भारत का राष्ट्रीय ध्वज सफलतापूर्वक फहराया और प्रदर्शित किया।

60 ग 40 मीटर आकार का यह ध्वज, जो लगभग आधे फुटबॉल मैदान के बराबर है, अण्डमान तथा निकोबार पुलिस, वन विभाग, भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल और निजी डाइव ऑपरेटरों की संयुक्त टीम द्वारा तैनात किया गया। इस अभियान में 14 वर्ष तक के युवा डाइवर्स को भी भाग लेने का अवसर दिया गया। टीम के सामने ध्वज के विभिन्न हिस्सों को समान रूप से स्थिर रखने की चुनौती थी, ताकि समुद्री धाराओं के प्रभाव को संतुलित किया जा सके, साथ ही तटस्थ उछाल बनाए रखा जा सके।

एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी, दोनों डाइव अभियानों में शामिल हुए। इस अवसर पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कुल 836 द्वीप हैं, जिनमें से केवल 31 आबाद हैं। भौगोलिक रूप से थाईलैंड के अधिक निकट स्थित यह द्वीपसमूह

लगभग 200 स्कूबा डाइवर्स की एक टीम द्वारा विशाल राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया।

भारत के उन चुनिंदा क्षेत्रों में से एक माना जाता है, जहाँ विश्वस्तरीय स्कूबा डाइविंग की सुविधा उपलब्ध है। स्वराज द्वीप के आसपास के डाइविंग स्थलों पर कठोर एवं नरम प्रवाल, रीफ मछलियाँ तथा कभी–कभार पेलाजिक प्रजातियाँ देखी जा सकती हैं।

यह व्यापक क्षेत्र शार्क, रे, कछुओं और सूक्ष्म समुद्री जीवों के साथ रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। यहाँ का गर्म पानी, अपेक्षाकृत कम भीड़–भाड़ वाले स्थल, शुरुआती लोगों के लिए अनुकूल रीफ डाइविंग और अनुभवी डाइवर्स के लिए उन्नत ड्रिफ्ट तथा गहरी डाइविंग का संयोजन इसे विशेष बनाता है। बेहतर दृश्यता और शांत समुद्र के लिए सामान्यतः नवंबर से अप्रैल का समय उपयुक्त माना जाता है। (स्रोत: https://divernet.com/)

पीएमएवाई–जी के तहत 105 भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का आधिपत्य सौंपा गया

श्री विजय पुरम, 6 मई

"सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई–जी) के अंतर्गत चिन्हित 105 भूमिहीन लाभार्थियों को सामुदायिक विकास खंड, फरारगंज में भूमि का आधिपत्य सफलतापूर्वक सौंप दिया है।

हालांकि 3 सितंबर, 2025 को प्रत्येक भूमिहीन लाभार्थी को 50 वर्ग मीटर भूमि के लिए लाइसेंस आवंटित किए गए थे, किन्तु भूमि के सीमांकन (डिमार्केशन) की प्रक्रिया लंबित होने के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका था। अब प्रशासन द्वारा सीमांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है, जिससे लाभार्थी अपने स्थायी आवास निर्माण कार्य शुरू कर सकेंगे।

यह सीमांकन कार्य तहसीलदार द्वारा राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया तथा 13 ग्राम पंचायतों के लाभार्थियों को औपचारिक रूप से भूमि का आधिपत्य सौंपा गया। इस अवसर पर संबंधित ग्राम प्रधानों एवं सामुदायिक विकास खंड, फरारगंज के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) भी उपस्थित रहे।

यह उपलब्धि ज़िले में पीएमएवाई–जी के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और ग्रामीण विकास के प्रति प्रशासन की सक्रिय एवं समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है।

दक्षिण अण्डमान के उपायुक्त से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार ज़िला प्रशासन ऐसे प्रयासों को निरंतर जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि सभी पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता एवं समर्थन सुनिश्चित किया जा सके।

माननीय सांसद ने डिग्री कॉलेजों में अतिथि प्राध्यापकों की निरंतरता की मांग की

श्री विजय पुरम, 6 मई

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से आगामी शैक्षणिक सत्र 2026–2027 के लिए द्वीपसमूह के विभिन्न डिग्री कॉलेजों में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों की सेवाओं को जारी रखने/विस्तारित करने का आग्रह किया है। जेएनआरएम, एनकॉल, एमजीजीसी, टीजीसीई, डीब्राइट सहित अन्य संस्थानों में कार्यरत अतिथि प्राध्यापकों की शिकायतों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए माननीय सांसद ने बताया कि इस विषय को पूर्व में भी प्रशासन के समक्ष उठाया जा चुका है।

सांसद कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार माननीय सांसद ने अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव से अनुरोध किया है कि वे संबंधित संस्थानों के प्रमुखों को आवश्यक निर्देश जारी करें, ताकि द्वीपसमूह के छात्रों और शैक्षणिक व्यवस्था के हित में शैक्षणिक सत्र 2026–2027 तथा आगे भी वर्तमान अतिथि प्राध्यापकों की सेवाओं को जारी/विस्तारित किया जा सके।

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन

श्री विजय पुरम, 6 मई

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा 24 मार्च, 2026 को शुभारंभ किए गए "टीबी मुक्त भारत अभियान–100 दिवसीय सघन अभियान" को राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के अनुरूप सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य क्षय रोग (टीबी) के उन्मूलन हेतु व्यापक एवं लक्षित रणनीति अपनाना है, जिसके प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- संवेदनशील एवं उच्च जोखिम वाले समूहों में छाती के एक्स–रे तथा प्रारंभिक एनएएटी परीक्षण के माध्यम से सक्रिय जांच कर सभी छूटे हुए टीबी मामलों की शीघ्र पहचान सुनिश्चित करना।
- व्यक्तिगत रोगी देखभाल, पोषण सहायता, सह–रोगों के प्रबंधन, नियमित अनुवर्ती जांच तथा टीबी मृत्यु ऑडिट के माध्यम से टीबी से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना।
- नए टीबी मामलों की रोकथाम हेतु स्क्रीनिंग तथा पात्र उच्च जोखिम समूहों, जैसे पारिवारिक संपर्कों एवं एचआईवी से जीवित व्यक्तियों (पीएलएचआईवी) को टीबी निवारक उपचार (टीपीटी) उपलब्ध कराना।
- जनभागीदारी को बढ़ावा देते हुए 'सम्पूर्ण समाज' एवं 'सम्पूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के माध्यम से जागरूकता फैलाना, कलंक को कम करना तथा समय पर उपचार के

लिए लोगों को प्रेरित करना।
- मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, कुपोषण एवं कैंसर जैसे प्रमुख सह–रोगों की शीघ्र पहचान एवं प्रबंधन कर उपचार के परिणामों में सुधार करना।

अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बहु–आयामी सेवा वितरण रणनीति अपनाई

शेष पृष्ठ 4 पर

दूरस्थ गांव मकाचुआ में विशेष आउटरीच गतिविधियां आयोजित

कैम्पबेल बे, 6 मई

आयुष्मान आरोग्य शिविर पहल के अंतर्गत चल रहे 100 दिवसीय अभियान के तहत, कल मकाचुआ गांव, कैम्पबेल बे में दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में निवास कर रही संवेदनशील आबादी के लिए विशेष आउटरीच गतिविधियाँ सफलतापूर्वक आयोजित की गईं। स्वास्थ्य टीम ने लाभार्थियों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए नाव एवं डिंगी के माध्यम से यात्रा की। यह गतिविधि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कैम्पबेल बे की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. मीना नासिर के मार्गदर्शन में संपन्न हुई।

इस आउटरीच कार्यक्रम के दौरान संवेदनशील आबादी में क्षय रोग (टीबी) की शीघ्र पहचान हेतु हैंडहेल्ड एक्स–रे मशीन के माध्यम से छाती का एक्स–रे परीक्षण किया गया। कुल 45 व्यक्तियों (20 पुरुष एवं 25 महिलाएं) ने इस जांच में भाग लिया और सभी का छाती का एक्स–रे किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल स्वास्थ्य विभाग की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत निकोबार ज़िले के दूरस्थ एवं वंचित क्षेत्रों में सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने तथा टीबी के सक्रिय मामलों की पहचान को सुदृढ़ किया जा रहा है।

एडीआईपी योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए सहायक उपकरण एवं सहायता सामग्री उपलब्ध

श्री विजय पुरम, 6 मई

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने अपने प्रधानमंत्री दिव्याशा वयोश्री केंद्र (पीएमडी–वीके), जो कि आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एएलआईएमसीओ) के अंतर्गत संचालित है, के माध्यम से आम जनता को सूचित किया है कि एडीआईपी योजना तथा राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक उपकरण एवं सहायता सामग्री अब उपलब्ध हैं।

सीआरसी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की इस पहल का उद्देश्य द्वीपसमूह में दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाना है, जिससे उनकी गतिशीलता, पहुंच, संचार, शिक्षा एवं आत्मनिर्भर जीवन को बढ़ावा मिल सके।

केंद्र में उपलब्ध प्रमुख सहायक उपकरण निम्नलिखित हैं:

- व्हीलचेयर (फोल्डिंग, कमोड एवं साथी मॉडल)
- फोल्डेबल वॉकर तथा ब्रेक सहित रोलैटर
- चलने की छड़ियाँ, समायोज्य छड़ी, ट्राइपॉड एवं टेट्रापॉड सहारा
- बैसाखियाँ (कोहनी एवं कांख प्रकार)
- सर्वाइकल कॉलर, स्पाइनल सपोर्ट, घुटना ब्रेस एवं लंबर बेल्ट
- सिलिकॉन फोम कुशन एवं कमोड चेयर
- डिजिटल एवं प्रोग्रामेबल बीटीई श्रवण यंत्र
- दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए सुगम्य छड़ी
- ब्रेल स्लेट, ब्रेल किट एवं दृष्टिबाधित किट
- प्रारंभिक हस्तक्षेप से माध्यमिक स्तर तक के लिए शैक्षणिक टीएलएम किट
- 100 प्रतिशत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन रीडर सुविधा युक्त स्मार्टफोन

प्राप्त विज्ञप्ति में सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ब्रुक्शाबाद स्थित सीआरसी के पीएमडी–वीके केंद्र पर जाकर इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध उपकरणों का लाभ उठाएं।

पात्रता मानदंड

- एडीआईपी योजना के अंतर्गत:
  - ➪ न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता
  - ➪ वैध यूडीआईडी कार्ड/नामांकन संख्या सहित दिव्यांगता प्रमाण–पत्र
  - ➪ आधार कार्ड
  - ➪ मासिक आय 22,500 रुपये से अधिक न हो
- राष्ट्रीय वयोश्री योजना (आरवीवाई) के अंतर्गत:
  - ➪ 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक
  - ➪ आधार कार्ड
  - ➪ मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक न हो

समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी), अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह ने सभी पात्र व्यक्तियों से आग्रह किया है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ शीघ्र उठाएं। यह पहल एक समावेशी एवं सुलभ समाज के निर्माण के प्रति केंद्र की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जहाँ कोई भी दिव्यांग पीछे न छूटे। इस संबंध में सभी पात्र लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे सोमवार से शुक्रवार, सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे के बीच ब्रुक्शाबाद स्थित सीआरसी केंद्र पर उपस्थित होकर इन सेवाओं का लाभ प्राप्त करें।

औद्योगिक इकाइयों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति अनिवार्य, नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

श्री विजय पुरम, 6 मई

सभी औद्योगिक इकाइयों एवं हितधारकों को सूचित किया गया है कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 (नए निकास एवं नए उत्सर्जन पर प्रतिबंध) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति राज्य बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी उद्योग, संचालन या प्रक्रिया अथवा किसी उपचार एवं निस्तारण प्रणाली की स्थापना या उसमें विस्तार/संवर्धन नहीं कर सकता, यदि उससे जलधारा, कुएँ, सीवर या भूमि में सीवेज या औद्योगिक अपशिष्ट के उत्सर्जन की संभावना हो। इसके अतिरिक्त, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 (कुछ औद्योगिक संयंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध) के अंतर्गत, वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या संचालन राज्य बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकता। अतः, किसी भी औद्योगिक इकाई की स्थापना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से "स्थापना हेतु स्वीकृति"–सीटीई प्राप्त किए बिना नहीं की जा सकती, और न ही "संचालन हेतु स्वीकृति"–सीटीई के बिना किसी इकाई का संचालन किया जा सकता है। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इन प्रावधानों का पालन अनिवार्य है। अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति (एएनपीसीसी) ने पाया है कि द्वीपसमूह में कई औद्योगिक इकाइयाँ आवश्यक स्वीकृतियाँ प्राप्त किए बिना ही स्थापित एवं संचालित की जा रही हैं, जो उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। प्राप्त विज्ञप्ति में सभी हितधारकों एवं औद्योगिक उद्यमियों को सलाह दी गई है कि वे स्थापना से पूर्व सीटीई तथा संचालन प्रारंभ करने से पूर्व सीटीओ अनिवार्य रूप से प्राप्त करें। इसके लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल **www.anocmms.nic.in** के माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इन प्रावधानों का अनुपालन न करने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ईएसआईसी आईपी कोटा के अंतर्गत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित

श्री विजय पुरम, 6 मई

ईएसआईसी के बीमित व्यक्तियों (आईपी) के बच्चे, जो वर्ष 2026–2027 के लिए एमबीबीएस/बीडीएस/बीएससी नर्सिंग कार्यक्रमों में ईएसआईसी आईपी कोटा के अंतर्गत प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें "वार्ड ऑफ आईपी प्रमाणपत्र के लिए 28 मई, 2026 (रात्रि 11.59 बजे तक) से पूर्व ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है।

अभ्यर्थी पूरे भारत में उपलब्ध कुल 695 एमबीबीएस सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिनमें तमिलनाडु में 50 सीटें (ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, के.के. नगर में 30 सीटें तथा सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोयंबटूर में 20 सीटें) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, बीमित व्यक्ति कोटा के अंतर्गत 28 बीडीएस तथा 60 बीएससी नर्सिंग सीटें भी उपलब्ध हैं। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थी "वार्ड ऑफ आईपी प्रमाणपत्र" हेतु आवेदन करने के लिए वेबसाइट **www.esic.gov.in** पर जा सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज़ों का विवरण भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए निकटतम ईएसआईसी शाखा कार्यालय/उप–क्षेत्रीय कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय (क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई–044–28306333/044–28306363) से संपर्क किया जा सकता है।

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस द्वारा समर कैंप का शुभारंभ

मायाबंदर, 6 मई

उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस द्वारा 4 मई, 2026 से थाना रंगत, डिगलीपुर एवं मायाबंदर में समर कैंप कार्यक्रमों की श्रृंखला का शुभारंभ किया गया। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिससे युवा विकास, सामुदायिक सहभागिता एवं समग्र शिक्षा के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता पुनः सुदृढ़ हुई है।

इन पहलों का उद्घाटन मायाबंदर में पुलिस अधीक्षक श्री विकास स्वामी (आईपीएस), डिगलीपुर में एसडीपीओ श्री राहुल विक्रम तथा रंगत में बीडीओ श्री प्रदीप कुमार सिंह द्वारा किया गया। शिविर में चित्रकला, पेंटिंग, सुलेख, रूबिक क्यूब हल करना तथा ट्यूशन सहायता जैसी विविध गतिविधियों के साथ–साथ खेलकूद, इंडोर गेम्स, वेलनेस सत्र एवं आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी शामिल हैं, जो प्रतिभागियों में आत्मविश्वास एवं व्यक्तिगत सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देते हैं।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके अतिरिक्त जीवन कौशल, अनुशासन, नए आपराधिक कानूनों एवं यातायात नियमों पर भी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह शिविर लगभग 200 प्रतिभागी छात्रों के लिए उपयोगी एवं यादगार सिद्ध हो रहा है। उत्तर व मध्य अण्डमान ज़िला पुलिस की यह पहल अवकाश को अवसर में परिवर्तित कर रही है, जिसमें शिक्षा, रचनात्मकता एवं अनुशासन का समन्वय कर आत्मविश्वासी, ज़िम्मेदार युवा तथा एक मजबूत एवं सुरक्षित समाज के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

रंगत शिक्षा अंचल में समर कोचिंग कक्षाएं आरम्भ

रंगत, 6 मई

मध्य अण्डमान के रंगत शिक्षा अंचल द्वारा आयोजित समर कोचिंग कक्षाएं 2026 का आज विभिन्न स्थानों–बाराटांग, कदमतला, रंगत, सबरी जंक्शन एवं बिलीग्राउंड–में शुभारंभ हुआ। इस पहल के अंतर्गत कुल 226 छात्र–छात्राएं विभिन्न खेल विधाओं में भाग ले रहे हैं। ग्राम पंचायत हरिनगर के प्रधान श्री मनोजित हालदार ने बिलीग्राउंड समर कोचिंग शिविर में उपस्थित होकर इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग द्वारा किया गया यह प्रयास विद्यार्थियों को अपने समय का सदुपयोग खेलों में करने तथा भविष्य में कुशल खिलाड़ी बनने का उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार रंगत (सबरी जंक्शन) में शिविर का उद्घाटन डॉ. सुशिम कुमार बिस्वास, ज़िला शिक्षा अधिकारी (डीईओ), रंगत द्वारा किया गया।

घने जंगल क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई

मायाबंदर, 6 मई

गत 4 मई, 2026 को मध्य अण्डमान के नींबूडेरा के घने जंगल क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर बिलीग्राउंड थाना की पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध स्थान पर लक्षित तलाशी अभियान चलाया गया। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अभियान के दौरान टीम ने जंगल में छिपाकर रखी गई लगभग 400 लीटर अवैध लेहान (किण्वित मिश्रण) बरामद की। मौके पर कोई दावेदार या संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिलने के कारण बरामद लेहान एवं संबंधित कंटेनरों को विधिवत प्रक्रिया के अनुसार मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।

टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ——————————पृष्ठ 1 का शेष

गई है, जिसके प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:

- आउटरीच गतिविधियाँ: समुदायों में आयुष्मान आरोग्य शिविर (स्वास्थ्य शिविर) आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें हैंडहेल्ड एक्स–रे मशीनों के माध्यम से टीबी की जांच की जा रही है।
- स्वास्थ्य संस्थान आधारित सेवाएँ: स्वास्थ्य केंद्रों पर आने वाले सभी व्यक्तियों की सघन जांच की जा रही है, जिसे गैर–संचारी रोग (एनसीडी) सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है।
- एकीकृत जांच प्रणाली: टीबी, गैर–संचारी रोग (एनसीडी) तथा सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं का समेकित रूप से संचालन किया जा रहा है।
- एनसीडी जांच घटक: रक्तचाप, रक्त शर्करा, बीएमआई का आकलन तथा एनीमिया की जांच शामिल है।

अभियान की समग्र प्रगति (24 मार्च, 2026–6 मई, 2026)

अभियान के अंतर्गत द्वीपसमूह में व्यापक स्तर पर उल्लेखनीय पहुंच और प्रभाव प्राप्त हुआ है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:

आयुष्मान आरोग्य शिविर:

- कुल आयोजित शिविर: 544

(शहरी: 130, ग्रामीण: 414, सामूहिक स्थल: 2, अन्य क्षेत्र: 2)

- कुल उपस्थिति (फुटफॉल): 17,529
- (पुरुष: 7,956, महिला: 9,573)
- निक्षय पंजीकरण (नए + नए प्रकरण): 4,970
- कुल छाती के एक्स–रे किए गए: 6,331
- एनएएटी परीक्षण किए गए: 1,363
- अधिसूचित टीबी मामले: 54

जनभागीदारी एवं सामुदायिक सहभागिता गतिविधियाँ

- कुल जनभागीदारी गतिविधियाँ: 151
- शामिल जनप्रतिनिधि: 149 (यूएलबी: 19; पीआरआई: 130)
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित गतिविधियाँ: 125
- विभिन्न मंत्रालयों में आयोजित गतिविधियाँ: 20
- सार्वजनिक उपक्रमों/कॉर्पोरेट/व्यापारिक संघों में गतिविधियाँ: 2

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन सभी नागरिकों से टीबी के खिलाफ इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील करता है:

- यह जागरूकता फैलाएँ कि टीबी रोकी जा सकने वाली और पूर्णतः उपचार योग्य बीमारी है।
- टीबी से जुड़े कलंक एवं भेदभाव को समाप्त करने में सहयोग करें।
- उच्च जोखिम वाले व्यक्ति–जैसे 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग, कुपोषित (बीएमआई<18), मधुमेह से ग्रस्त, धूम्रपान करने वाले या शराब का सेवन करने वाले (वर्तमान या पूर्व), टीबी मरीजों के निकट संपर्क में रहने वाले अथवा पिछले 5 वर्षों में टीबी से पीड़ित रहे व्यक्ति–निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में जांच अवश्य कराएँ।
- टीबी रोगियों को पोषण एवं मनोसामाजिक सहयोग प्रदान करने हेतु 'निक्षय मित्र' के रूप में आगे आएँ।

(स्रोत: राज्य स्वास्थ्य समिति, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 5.0 को मंजूरी दी

2,55,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त ऋण प्रवाह में से, पश्चिम एशिया की स्थिति को देखते हुए एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं

नई दिल्ली, 6 मई।

एटीएफ की कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण एयरलाइंस को हो रहे वित्तीय संकट को देखते हुए, साथ ही हवाई क्षेत्र बंद होने और परिचालन में कमी, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर, जिसके परिणामस्वरूप विमानों का उपयोग कम हो रहा है और नकदी की कमी हो रही है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय एयरलाइंस को लक्षित ऋण सहायता प्रदान करने के लिए ईसीएलजीएस 5.0 योजना को मंजूरी दी है।

इस योजना का उद्देश्य नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को एमएसएमई के लिए 100: और गैर–एमएसएमई के साथ–साथ एयरलाइन क्षेत्र के लिए 90: क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना है। यह गारंटी पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर, पात्र उधारकर्ताओं को दी गई अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा के तहत डिफॉल्ट राशि के लिए है, ताकि वे अल्पकालिक तरलता असंतुलन से निपट सकें।

विमानन क्षेत्र के लिए, इस योजना में विशेष रूप से एयरलाइंस के लिए 5,000 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। यह योजना संरचित वित्तीय राहत प्रदान करती है, जिसमें प्रति उधारकर्ता अधिकतम 1,000 करोड़ रूपए की ऋण सीमा है, और उधारकर्ता द्वारा समतुल्य इक्विटी निवेश के अधीन अतिरिक्त 500 करोड़ रूपए की राशि भी दी जा सकती है। ऋण की अवधि 7 वर्ष तक होगी, जिसमें पुनर्भुगतान पर 2 वर्ष की मोहलत शामिल है, जिससे अल्पकालिक तरलता दबाव कम होगा।

ईसीएलजीएस 5.0 की शुरुआत का उद्देश्य मौजूदा चुनौतीपूर्ण दौर में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और एयरलाइनों को अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान करना है। 7 साल की लंबी ऋण अवधि, साथ ही ब्याज के 50: तक को वित्तपोषित ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल) में परिवर्तित करने का विकल्प, तत्काल पुनर्भुगतान के दबाव को कम करने और नकदी प्रवाह और तरलता में सुधार करने की उम्मीद है।

इस घोषणा पर माननीय मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में, भारत की विमानन विकास गाथा आज वैश्विक स्तर पर सुधारों, लचीलेपन और पुनरुत्थान की नींव पर निर्मित एक सफल गाथा के रूप में उभर रही है। और वर्तमान अनिश्चित और अभूतपूर्व परिस्थितियों में, जब दुनिया भर की एयरलाइंस संचालन संबंधी चुनौतियों से जूझ रही हैं, भारतीय एयरलाइंस समय पर उठाए गए कदमों के समर्थन से स्थिर बनी हुई हैंकृचाहे वह वैश्विक वृद्धि के बीच एटीएफ कीमतों को नियंत्रित करना हो, हवाई अड्डों पर लैंडिंग और पार्किंग शुल्क में कमी करना होकृऔर अब सरकार द्वारा एक साहसिक निर्णय लिया गया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी देकर, एयरलाइनें अल्पकालिक तरलता चुनौतियों से निपटने और वैश्विक व्यवधानों के बीच निर्बाध परिचालन बनाए रखने में सक्षम होंगी। यह रोजगार की सुरक्षा, कनेक्टिविटी को बनाए रखने और विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मजबूत वित्तीय सहायता प्रदान करेगा, साथ ही एमएसएमई का भी सहायता करेगा।"

इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में उपयोग की गई अधिकतम कार्यशील पूंजी के 20: तक अतिरिक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये है। एयरलाइंस के लिए यह ऋण 100: तक होगा, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपये है, बशर्ते कुछ विशिष्ट शर्तें पूरी हों। गारंटी कवर की अधिकतम अवधि ऋण की अवधि के साथ समाप्त होगी। यह योजना एनसीजीटीसी द्वारा इन दिशानिर्देशों के जारी होने की तिथि से 31.03.2027 तक स्वीकृत सभी ऋणों पर लागू होगी।

यह योजना विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ती कीमतों, विनिमय दर में उतार–चढ़ाव और परिचालन संबंधी बाधाओं के प्रभाव को कम करने में भी सहायक होगी, जो एयरलाइंस की वित्तीय स्थिति को लगातार प्रभावित कर रही हैं। सरकारी गारंटी द्वारा समर्थित ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाकर, यह ऋणदाताओं का विश्वास बढ़ाएगी, क्षेत्र में ऋण प्रवाह में सुधार करेगी और परिचालन स्थिरता को बढ़ावा देगी। इससे रोजगार को बनाए रखने, क्षेत्र की क्षमता को संरक्षित करने और यात्रियों पर बढ़ी हुई लागत के बोझ को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है, जिससे भारत के विमानन क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और मजबूती को समर्थन मिलेगा।

निर्माण कर्मकारों के लिए अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण

श्री विजय पुरम, 6 मई

नई दिल्ली स्थित श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के निर्देशानुसार, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए मॉडल कल्याण योजना तथा कार्यान्वयन तंत्र को सुदृढ़ करने की कार्ययोजना के अंतर्गत, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों के लिए अल्पकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को अपने कौशल में उन्नयन करने तथा नए कौशल अर्जित करने में सहायता प्रदान करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	जॉब रोल	अवधि (घंटों में)
1	ईंट राजमिस्त्री	330
2	कंक्रीट राजमिस्त्री	390
3	सहायक शटरिंग बढ़ई	360
4	शटरिंग बढ़ई	570
5	सहायक स्कैफोल्डर–सिस्टम	330
6	सहायक इलेक्ट्रीशियन	390
7	निर्माण पेंटर एवं सज्जाकार	420
8	सहायक फॉल्स सीलिंग एवं ड्राईवॉल इंस्टॉलर	360

उक्त कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम पंजीकृत लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों के लिए पूर्णतः निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर लाभार्थियों एवं उनके आश्रितों को प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार उपरोक्त ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक सभी पंजीकृत लाभार्थी एवं उनके आश्रित अपने आवेदन में उस ट्रेड का स्पष्ट उल्लेख करते हुए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें वे कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं। आवेदन पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, सप्लाई लाइन, श्री विजय पुरम के नाम संबोधित कर जमा करना होगा। अधिक जानकारी अथवा किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए लाभार्थी दूरभाष संख्या 03192–230157 तथा मोबाइल नंबर 8900901130 पर संपर्क कर सकते हैं।

'संस्कृति–2026' इंटर कॉलेज उत्सव का भव्य समापन, टैगोर कॉलेज बना समग्र विजेता

श्री विजय पुरम, 6 मई

अण्डमान तथा निकोबार इंटर–कॉलेज उत्सव 'संस्कृति–2026' का समापन समारोह देशभक्ति के उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न संस्थानों के बीच आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं की श्रृंखला का सफल समापन हुआ।

मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए शिक्षा निदेशक डॉ. केशव नरेंद्र सिंह ने सभी भाग लेने वाले कॉलेजों, आयोजकों एवं छात्रों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने देशभक्ति विषय पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदर्शित प्रतिभा, अनुशासन और एकता की प्रशंसा करते हुए विजेताओं को बधाई दी तथा छात्रों को शैक्षणिक गतिविधियों के साथ–साथ अपनी रचनात्मक एवं सांस्कृतिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के कुल अंकों के आधार पर टैगोर कॉलेज ने 2701 अंकों के साथ समग्र चैंपियन का खिताब प्राप्त किया। एनकॉल 1389 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर

रहा, जबकि जेएनआरएम 1085 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। समारोह के दौरान सभी विजेताओं को सम्मानित किया गया। टैगोर कॉलेज की प्राचार्या डॉ. मंजुलता राव ने सांस्कृतिक उत्सव समन्वयक, स्टाफ एवं छात्रों के सामूहिक प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इग्नू में जुलाई 2026 सत्र हेतु पुनः पंजीकरण प्रारंभ

श्री विजय पुरम, 6 मई

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने सभी ओडीएल एवं ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए जुलाई, 2026 सत्र हेतु पुनः पंजीकरण प्रक्रिया 6 मई, 2026 से प्रारंभ कर दी है। पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 जून, 2026 निर्धारित की गई है। पुनः पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है तथा अभ्यर्थी इग्नू समर्थ छात्र पोर्टल **https://ignou.samarth.edu.in/index.php/site/login** के माध्यम से अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं।

इग्नू से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अधिक जानकारी के लिए इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, वीआईपी रोड, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के सामने, श्री विजय पुरम–744103 अथवा दूरभाष नंबर 03192–230111/242888, ईमेल **rcportblair@ignou.ac.in** से संपर्क किया जा सकता है।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) एस. बिजू पिल्लै
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग
अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति, डॉलीगंज, श्री विजय पुरम
दूरभाष–03192–250370 ई मेल– dstpcc-andamans@nic.in

रिक्ति सूचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा कंप्यूटर सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक एवं फील्ड सहायक के पदों पर पूर्णतः संविदा के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए, जिसे कार्य निष्पादन के आधार पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है, नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

रिक्ति सूचना एवं आवेदन प्रपत्र का विस्तृत विवरण प्राप्त करने के लिए कृपया विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dstpcc.andamannicobar.gov.in तथा अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट https://www.andamannicobar.gov.in को देखें।

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल– I, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, कन्यापुरम की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी– I/जीईएन/2026–27/30
कार्य का नाम : कन्यापुरम, ग्राम पंचायत के अंर्तगत वार्ड न. के पी. 01 में राजन गैरज के पास बस स्टैंड का निर्माण कार्य।
अनुमानित लागत : रु. 7,50,115/–, धरोहर राशि : रु. 15,002/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (04) चार माह।
निविदा शुल्क : रु. 500/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 15/05/2026 के अपराहन 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22918_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल– I,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

ई–निविदा सूचना

कार्यपालक अभियंता, पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल– I, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान, प्रधान, ग्राम पंचायत, फरारगंज की ओर से, निम्नलिखित कार्यों के लिए उचित श्रेणी के योग्य व अनुभवी ठेकेदारो से मुहरबंद मद दर (के.लो.नि.वि.–8 के प्रपत्र के रूप में) आमंत्रित करते है।

एन. आई. टी. संख्या : क.अ./पी आर आई/एस ए डी– I/जीईएन–एमजी/2026–27/05
कार्य का नाम : फरारगंज, ग्राम पंचायत के अंर्तगत फरारगंज 02 में स्थित मौजूदा सामुदायिक भवन का उन्नयन और रख–रखाव।
अनुमानित लागत : रु. 88,06,251/–, धरोहर राशि : रु. 1,76,125/–, कार्य समाप्ति की अवधि : (12) बारह माह।
निविदा शुल्क : रु. 1000/–, बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 22/05/2026 के सायं 3.00 बजे तक।
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
टेंडर आई डी : 2026_RDPRI_22916_1

कार्यपालक अभियंता,
पंचायती राज संस्थान, दक्षिण अण्डमान मण्डल– I,
जंगलीघाट, श्री विजय पुरम, दक्षिण अण्डमान

शपथ पत्र

मैं, टी प्रियांका, पुत्री श्री लक्ष्मण, निवासी फोंगी चोंग गांव, तहसील श्री विजय पुरम, जिला दक्षिण अण्डमान, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, विधिवत शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ :–

1. कि मैं उक्त द्वीपों की निवासी हूँ तथा उपरोक्त पते पर निवास कर रही हूँ।
2. कि मेरे आधार कार्ड संख्या 9387 3545 3176 में मेरा नाम एवं मेरे पिता का नाम टी प्रियांका पुत्री लक्ष्मण दर्ज है।
3. कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र, पंजीकरण संख्या 06, में मेरा नाम एवं मेरे पिता का नाम टी प्रियायंका पुत्री टी लक्ष्मणा राव दर्ज है।
4. कि उपरोक्त दोनों नाम अर्थात टी प्रियांका पुत्री लक्ष्मण तथा टी प्रियांयका पुत्री टी लक्ष्मणा राव एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा दोनों नाम मेरे ही हैं।
5. यह कि "टी" का विस्तारित रूप तिरुमल है।
6. कि मैं यह शपथ पत्र इस उद्देश्य से प्रस्तुत कर रही हूँ कि उपरोक्त भिन्न नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ताकि उपरोक्त पासपोर्ट के नवीनीकरण हेतु भविष्य में मेरा नाम टी प्रियांका पुत्री लक्ष्मण ही सभी सरकारी एवं गैर–सरकारी कार्यों में मान्य माना जाए।

यह शपथ पत्र मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है।

स्थान : श्री विजयपुरम — अभिसाक्षी

शपथ पत्र

मैं एस. पवन थाय, सुपुत्री के. श्रीनिवासन, उम्र 45 वर्ष, निवासी भातु बस्ती, श्री विजय पुरम, श्री विजय पुरम तहसील के अंतर्गत, दक्षिण अण्डमान जिला एतद्द्वारा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करती हूँ :

1. कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और इस मामले में शपथकर्ता हूँ।
2. कि मेरे पिताजी का सही नाम के. श्रीनिवासन है।
3. कि मेरे शैक्षिक दस्तावेजों और स्थानीय प्रमाणपत्र में मेरे पिताजी का नाम गलत तरीके से श्रीनिवासन उल्लिखित किया गया है और अन्य दस्तावेजों में मेरे पिताजी का नाम के. सिरिनिवासन उल्लिखित किया गया है।
4. कि श्रीनिवासन, के. सिरिनिवासन और के. श्रीनिवासन एक ही समान व्यक्ति हैं जो मेरे पिता हैं।
5. कि मैं यह शपथ पत्र भविष्य के उद्देश्यों और उक्त दस्तावेजों में मेरे पिताजी के नाम में सुधार करने के उद्देश्य से कर रही हूँ।

मैं यह सत्यापित करता हूँ कि उक्त दिए गए कथन पैरा 1 से 5 तक मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य और सही है।

अभिसाक्षी

देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्य–सरकार

नई दिल्ली, 06 मई।

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि देशभर में घरेलू रसोई गैस का वितरण सामान्य है और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के यहां से कोई ड्राई–आउट की खबर नहीं है। सरकार ने कहा कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण 'डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड' के जरिए पूरी की जा रही है।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर–मंत्रालयी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) का वितरण सामान्य बना हुआ है, और स्टॉक खत्म होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि लगभग 95 फीसदी गैस सिलिंडर का वितरण शडिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोडश के जरिए पूरा किया जा रहा है। साथ ही पिछले दो दिनों में 88.82 लाख बुकिंग के मुकाबले लगभग 87.28 लाख सिलेंडर डिलीवर किए गए हैं।

सुजाता शर्मा ने बताया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच खाना पकाने के लिए सरकार घरेलू रसोई गैस की 100 फीसदी आपूर्ति उपभोक्ताओं तक सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और कमर्शियल सिलेंडरों के उपभोक्ताओं को 70 फीसदी तक आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।

संयुक्त सचिव ने बताया कि लगभग 6 लाख 31 हजार नए पीएनजी कनेक्शनों में गैस सप्लाई शुरू हो गई है और 2.67 लाख अतिरिक्त कनेक्शनों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 6 लाख 93 हजार उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शनों के लिए रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि 49 हजार से जयादा पीएनजी उपभोक्ताओं ने अपनी LPG कनेक्शन स्वेच्छा से सरेंडर कर दिए हैं।

सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले दो दिनों में लगभग 15,900 टन कमर्शियल एलपीजी और 876 टन ऑटो एलपीजी की बिक्री दर्ज की गई है। इसके अलावा लगभग 1.2 लाख 5 किलो वाले सिलिंडर भी बेचे गए हैं। वहीं, 3 अप्रैल से अब तक 10,000 से ज्यादा जागरूकता कैंप लगाए गए हैं, जिनके दौरान अब तक 1. 84 लाख से ज्यादा 5 किलो वाले सिलिंडर बेचे जा चुके हैं। शर्मा ने यह भी बताया कि कामकाज और रिटेल आउटलेट सामान्य रूप से चल रहे हैं।

वहीं, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और समुद्री क्षेत्र के हितधारकों के साथ लगातार समन्वय बनाए हुए है, ताकि नाविकों का कल्याण सुनिश्चित किया जा सके और समुद्री परिचालन बिना किसी रुकावट के जारी रहे। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं, और पिछले 48 घंटों में भारतीय ध्वज वाले जहाजों या भारतीय नाविकों को ले जा रहे विदेशी ध्वज वाले जहाजों से जुड़ी किसी भी घटना की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। ओपेश कुमार शर्मा ने कहा कि डीजी शिपिंग के कंट्रोल रूम ने शुरू होने के बाद से अब तक 8,570 कॉल और 18,732 से अधिक ईमेल संभाले हैं। इनमें से 156 कॉल और 668 ईमेल पिछले 48 घंटों के दौरान आए हैं।

सरकार ने लॉन्च किया 'स्वस्थ भारत पोर्टल', अब एक ही प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगी सभी डिजिटल हेल्थ सेवाएं

नई दिल्ली, 06 मई।

बुधवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए 'स्वस्थ भारत पोर्टल' लॉन्च किया है। इस पोर्टल को एपीआई–आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में डिजाइन किया गया है ताकि अलग–अलग सिस्टम और बिखरे हुए डाटासेट को एक जगह लाया जा सके। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और बार–बार एक ही डाटा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पोर्टल के जरिए सभी स्वास्थ्य सेवाएं एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगी, जिससे काम करने में आसानी होगी और अलग–अलग एप्लिकेशन के बीच तालमेल बेहतर बनेगा।

यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां कई राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजनाएं एक ही इंटरफेस पर उपलब्ध होंगी। इससे बार–बार लॉगिन करने और डाटा एंट्री करने की समस्या खत्म होगी और काम की गति बढ़ेगी। भारत में काम करने वाले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, जैसे आशा कार्यकर्ता, सहायक नर्स दाई, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी और मेडिकल अधिकारी, को अभी तक रिपोर्टिंग के लिए कई अलग–अलग ऐप का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था।

नया पोर्टल इस समस्या को हल करता है और एक ही जगह पर सभी सेवाओं की सुविधा देता है। इसमें डाटा देखने और समझने के लिए विशेष टूल भी दिए गए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर बेहतर योजना बनाई जा सकेगी। यह प्लेटफॉर्म 'आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन' के अनुसार तैयार किया गया है और 'आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट' के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड सुरक्षित और आसानी से साझा किए जा सकेंगे।

भविष्य में इसे और विकसित कर एक बड़े डिजिटल हेल्थ सिस्टम के रूप में तैयार किया जाएगा, जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स रजिस्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्टर जैसे राष्ट्रीय डाटाबेस भी जोड़े जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इस पोर्टल से इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में करीब 20 से 30 प्रतिशत तक की बचत होगी और डाटा एंट्री का काम लगभग 40 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ भी घटेगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बयान में बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा (जे पी नड्डा) ने इस पोर्टल को 'नवाचार और समावेशन पर आयोजित 10वें राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन' के दौरान लॉन्च किया। यह सिस्टम आधुनिक तकनीक पर आधारित है, जिससे विभिन्न सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल संभव होगा और डाटा का आदान–प्रदान तेज और सुरक्षित तरीके से हो सकेगा।

फिलहाल अलग–अलग कार्यक्रमों के लिए अलग–अलग सर्वर और संसाधनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इस पोर्टल के जरिए इन्हें एक साथ जोड़ दिया जाएगा, जिससे लागत कम होगी और काम ज्यादा प्रभावी तरीके से होगा।

संचार मंत्री ने भारतीय डाक के 100वें एन–जेन डाकघर का वर्चुअल उद्घाटन किया

नई दिल्ली, 06 मई। केंद्रीय संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज शिलांग स्थित उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय में भारतीय डाक के 100वें एन–जेन डाकघर का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। यह सुविधा छात्रों, शिक्षकों और परिसर में रहने वाले निवासियों की सेवा के उद्देश्य से एक आधुनिक, युवा–केंद्रित डाक केंद्र के रूप में विकसित की गई है। श्री सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक एक युवा और गतिशील राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित हो रहा है। उन्होंने कहा कि एन–जेन पहल पारंपरिक डाकघरों को जीवंत, डिजिटल रूप से सक्षम और नागरिक–केंद्रित सेवा केंद्रों में बदलने के व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाती है। श्री सिंधिया ने कहा कि यह पहल युवाओं तक पहुंच बनाने पर केंद्रित है, जिसके तहत ऐसे डाकघर शैक्षणिक संस्थानों के भीतर स्थापित किए जा रहे हैं जिससे छात्र–अनुकूल वातावरण बनाया जा सके। ये सुविधाएं मुफ्त वाई–फाई, क्यूआर–आधारित बुकिंग और भुगतान प्रणाली, समर्पित छात्र सेवा काउंटर और रियायती पार्सल तथा डाक सेवाओं सहित आधुनिक सुविधाएं प्रदान करती हैं, साथ ही पत्र लेखन की परंपरा को भी बढ़ावा देती हैं।

आईपीएल 2026: प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू घोषित, फाइनल अहमदाबाद में खेला जाएगा

नई दिल्ली, 06 मई।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन (आईपीएल 2026) के प्लेऑफ का शेड्यूल और वेन्यू बुधवार को घोषित कर दिया। फाइनल मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा। 70 मैचों के बाद टूर्नामेंट का पहला क्वालीफायर 26 मई को धर्मशाला में खेला जाएगा। इसमें अंकतालिका की दो शीर्ष टीमें एक दूसरे के आमने–सामने होंगी। इसके बाद न्यू चंडीगढ़ के न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 27 मई को तीसरे और चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों के बीच एलिमिनेटर होगा। 29 मई को इसी मैदान पर क्वालीफायर 2 भी आयोजित होगा। क्वालीफायर 2 में एलिमिनेटर की विजेता और क्वालीफायर 1 में हार का सामना करने वाली टीमें आमने–सामने होंगी। इस मैच से आईपीएल 2026 का दूसरा फाइनलिस्ट मिलेगा।

31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आईपीएल 2026 का फाइनल खेला जाएगा। नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, और यहां एक रोमांचक फाइनल की उम्मीद है। आईपीएल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जानकारी दी है कि कुछ ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक वजहों से इस सीजन का प्लेऑफ और फाइनल तीन जगहों पर कराया जाएगा।

पूर्व में आईपीएल 2026 का फाइनल बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था। स्थानीय एसोसिएशन, अधिकारियों की कुछ मांगों की वजह से बीसीसीआई ने फाइनल का वेन्यू बेंगलुरु से अहमदाबाद शिफ्ट कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्थानीय एसोसिएशन और अधिकारियों की मांग बोर्ड के निर्देशों और प्रोटोकॉल के दायरे से बाहर थीं।

बता दें कि कुल 74 मैचों वाले आईपीएल के मौजूदा सीजन का आखिरी लीग मैच 24 मई को खेला जाएगा। 24 मई रविवार है और इस दिन 2 मैच खेले जाने हैं। पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला केकेआर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेला जाएगा। इस मैच के बाद शीर्ष–4 टीमों की तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी।

साइनस की समस्याओं से राहत दिलाएगा योगासन, आयुष मंत्रालय ने बताए आसान उपाय

नई दिल्ली, 03 मई।

साइनस की समस्या आजकल आम हो गई है। नाक बंद रहना, सिर भारी होना और लगातार असुविधा कई लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करती है। ऐसे में भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बताता है कि योगासन इन समस्याओं से स्थायी राहत दिला सकता है। आयुष मंत्रालय का संदेश साफ है– "योग–युक्त बनें। रोग–मुक्त रहें।" योग दिवस को कुछ दिन शेष है, इस मौके पर आयुष मंत्रालय लगातार जागरूकता फैला रहा है। मंत्रालय का कहना है कि योग न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक शांति भी देता है। साइनस जैसी आम समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें।

योग दिवस को कुछ ही दिन शेष हैं। ऐसे में मंत्रालय साइनस से राहत देने वाले योगासनों के बारे में जानकारी देते हुए सलाह देता है कि साइनस के पुराने दबाव को रोज की परेशानी नहीं बनने देना चाहिए। जब सांस सही ढंग से चलती है तो पूरा जीवन ही अलग और बेहतर महसूस होता है। योग सिर्फ शरीर को लचीला बनाने का नाम नहीं है, बल्कि यह सांस के प्रवाह, ऊर्जा के प्रवाह और जीवन के प्रवाह का विज्ञान है। नियमित योग अभ्यास से शरीर खुद को संतुलित करता है और स्वाभाविक रूप से ठीक होता है। इससे रोजमर्रा की जिंदगी में हल्कापन और स्पष्टता वापस आ जाती है।

मंत्रालय ने साइनस की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ आसान और प्रभावी योगासनों की सिफारिश की है। इनमें भ्रामरी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, ताड़ासन, गोमुखासन, जलनेति के साथ कपालभाति भी शामिल है।

भ्रामरी प्राणायाम– इस अभ्यास में आंखें बंद करके भौंहों के बीच ध्यान केंद्रित कर 'ओम' की ध्वनि की तरह आवाज निकाली जाती है। इससे सिर और नाक से जुड़ी नसों को आराम मिलता है।

नाड़ी शोधन प्राणायाम– एक नथुने से सांस अंदर और दूसरे से बाहर लेने की प्रक्रिया। यह दोनों नाड़ियों को संतुलित करती है और सांस की रुकावट दूर करती है।

ताड़ासन– खड़े होकर शरीर को तानने वाला आसान आसन, जो मुद्रा सुधारता है और सही तरह से सांस लेने में मदद करता है।

गोमुखासन– पैरों को विशेष तरीके से मोड़कर बैठने वाला आसन, जो छाती और कंधों को खोलता है।

जलनेति– नाक को नमकीन पानी से साफ करने की क्रिया, जो साइनस की जड़ को साफ करती है।

कपालभाति– तेजी से सांस छोड़ने वाला प्राणायाम, जो फेफड़ों और साइनस कैविटी को साफ करता है।

ये अभ्यास नियमित रूप से करने से साइनस की पुरानी समस्या भी कम हो सकती है। इनसे नाक की रुकावट दूर होती है, सिर का भारीपन जाता है और सांस लेना सहज हो जाता है।–आईएएनएस

इतिहास के पन्नों में 07 मई: साहित्य और संस्कृति के महानायक रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती

नई दिल्ली, 06 मई।

इतिहास के पन्नों में 7 मई की तारीख भारतीय साहित्य और संस्कृति के लिए बेहद गौरवपूर्ण मानी जाती है। इसी दिन वर्ष 1861 में महान कवि, साहित्यकार और दार्शनिक रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। उन्हें भारतीय साहित्य का ऐसा स्तंभ माना जाता है, जिनका योगदान केवल देश तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया।

रवीन्द्रनाथ टैगोर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे केवल एक कवि ही नहीं, बल्कि लघु कथाकार, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार भी थे। उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदनाओं, प्रकृति और जीवन दर्शन की गहरी झलक मिलती है। टैगोर की रचनाएं आज भी साहित्य प्रेमियों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं, जितनी उनके समय में थीं।

उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति 'गीतांजलि' ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई। इसी कृति के लिए उन्हें वर्ष 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। वे यह सम्मान पाने वाले पहले गैर–यूरोपीय व्यक्ति बने, जो भारत के लिए गर्व का विषय था। टैगोर ने न केवल साहित्य के क्षेत्र में, बल्कि शिक्षा और समाज सुधार में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जो आगे चलकर विश्वभारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ।

टैगोर को भारतीय राष्ट्रगान 'जन गण मन' के रचयिता के रूप में भी जाना जाता है, जो देश की एकता और विविधता का प्रतीक है। इसके अलावा, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान 'आमार सोनार बांग्ला' की भी रचना की, जो उनकी वैश्विक पहचान को और मजबूत बनाता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1663– प्रसिद्ध नाटककार थॉमस किलिग्रू द्वारा निर्मित रायल थियेटर की लंदन में शुरुआत।
1912– कोलंबिया विश्वविद्यालय ने विभिन्न श्रेणियों में पुलित्जर पुरस्कार प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। इसकी स्थापना जोसेफ पुलित्जर ने की थी।
1928– ब्रिटेन में महिलाओं की वोट देने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई।
1945– जर्मनी के जनरल गुस्ताव जोड्ल ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तख्त किए और इसके साथ ही यूरोप में छह साल से चल रहे युद्ध का अंत हुआ। इस संबध में लंदन, मॉस्को और वॉशिंगटन में सरकारी बयान जारी किया गया।
1952– इंटिग्रेटेड सर्किट की अवधारणा पहली बार जियोफ्रे डमर में प्रकाशित। यह सभी आधुनिक कंप्यूटरों का आधार है।
1956– ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने धूम्रपान के विरोध में किए जा रहे तमाम अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि धूम्रपान के बुरे प्रभावों के तथ्य अभी सामने नहीं आए हैं।
1973– ईटानगर को पूर्वोत्तर के खूबसूरत प्रांत अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया।
1976– एलेक्जेंडर ग्राहम बेल को अपने आविष्कार का पेटेंट मिला जिसे उन्होंने टेलीफोन (दूरभाष) का नाम दिया।
1982– आईबीएम ने पीसी–डीओएस का वर्जन 1.1 जारी किया।
1989– भारतीय मूल के लेखक सलमान रश्दी के खिलाफ ईरानी फतवे के बाद ब्रिटेन और ईरान के बीच राजनयिक सम्पर्क टूट गया।
1999 – स्काटलैंड संसदीय चुनावों में लेबर पार्टी को सफलता।
2000 – ब्लादिमीर पुतिन ने रूस के नये राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार सम्भाला।

नई श्रम संहिता का क्रियान्वयनः श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच अभियान आज से शुरू होगा

नई दिल्ली, 06 मई।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया नई श्रम संहिता के तहत प्रस्तावित 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का गुरुवार को शुभारंभ करेंगे। यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से बुधवार को दी गई।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि इस पहल का औपचारिक उद्घाटन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बसई दारापुर, नई दिल्ली में होगा। इस अवसर पर देशभर के 11 अन्य ईएसआईसी अस्पतालों में भी शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें संबंधित राज्यों के श्रम मंत्री, सांसद, विधानसभा सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

मंत्रालय के मुताबिक, यह पहल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के व्यापक 'श्रमेव जयते' दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो श्रम की गरिमा और श्रमिकों के लिए सशक्त सामाजिक सुरक्षा पर बल देता है। इसका क्रियान्वयन चार नई श्रम संहिताओं के माध्यम से किए गए परिवर्तनकारी सुधारों पर आधारित है, जो 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को चार व्यापक स्तंभों के अंतर्गत समेकित करते हैं। इन सुधारों का उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, रोजगार को औपचारिक रूप देना और सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाना है।

विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी इसके दायरे में लाती है और एक सामाजिक सुरक्षा कोष की स्थापना करती है और ईएसआईसी लाभों के दायरे को विस्तृत करती है। नए श्रम ढांचे के तहत एक महत्वपूर्ण प्रावधान 40 वर्ष और

उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए अनिवार्य वार्षिक स्वास्थ्य जांच है। ईएसआई योजना के लाभार्थियों के लिए ये जांच इसके अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से की जाएंगी, जिसमें शीघ्र निदान, निवारक स्वास्थ्य देखभाल और निरंतर स्वास्थ्य निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मंत्रालय ने बताया कि इसके अलावा रसायनों, विषैले पदार्थों या भारी मशीनरी को संभालने सहित खतरनाक या जोखिम भरे कार्यों में लगे श्रमिकों के लिए उम्र की परवाह किए बिना चिकित्सा जांच अनिवार्य है। इस पहल में कार्यबल के दीर्घकालिक स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव और आवधिक निगरानी की भी परिकल्पना की गई है।

मंत्रालय ने आगे कहा कि यह राष्ट्रव्यापी पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने, भारत के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।—आईएएनएस

शिक्षा मंत्री ने विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों पर नए दिशा—निर्देश किए जारी

नई दिल्ली, 06 मई।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) के लिए नए दिशा—निर्देश जारी किए। इन दिशानिर्देशों में पहली बार माध्यमिक स्तर तक एसएमसी का विस्तार, एक महीने के भीतर गठन की अनिवार्यता और पारदर्शी कार्यप्रणाली जैसे कई अहम बदलाव किए गए हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति के दिशानिर्देशों को जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने के लिए, हमारे देश में लगभग 15 लाख स्कूल हैं। इन सभी स्कूलों में, स्कूल प्रबंधन समिति छात्रों, शिक्षकों और समाज के बीच एक सेतु का काम करेगी। हम शिक्षा और स्कूल प्रबंधन को समाज के हाथों में सौंपने का प्रयास कर रहे हैं।

शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने विद्यालय प्रबंधन समितियों (एसएमसी) को लेकर व्यापक संशोधित दिशा—निर्देश 2026 जारी किए हैं, जो पहले जारी सभी गाइडलाइंस को प्रतिस्थापित करेंगे।

नए निर्देशों में सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब एसएमसी केवल प्राथमिक स्तर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कक्षा 12 तक के माध्यमिक विद्यालयों में भी लागू की जाएगी। इसके साथ ही विद्यालय प्रबंधन विकास समिति (एसएमडीसी) की जगह एसएमसी को लागू करने का प्रावधान किया गया है।

दिशा—निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के एक महीने के भीतर एसएमसी का गठन करना अनिवार्य होगा। समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। अधिकतम 100 विद्यार्थी पर 12—15 सदस्य, 100—500 विद्यार्थी पर 15—20 सदस्य और 500 से अधिक विद्यार्थी पर 20—25 सदस्यों की अनुमानित संख्या निर्धारित की जा सकेगी।

एसएमसी के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा। किसी सदस्य को एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्त किया जा सकता है लेकिन एक सदस्य लगातार दो कार्यकाल से अधिक कार्य नहीं कर सकता, सिवाय सदस्य सचिव के जोकि स्कूल के प्राचार्य होंगे।

वर्ल्ड एथलेटिक्स डेः खेल और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने को समर्पित दिन

नई दिल्ली, 06 मई।

दुनियाभर में 7 मई 'वर्ल्ड एथलेटिक्स डे' के रूप में मनाया जाता है। एथलेटिक्स एक तरह का ट्रैक एंड फील्ड खेल है जिसमें दौड़ना, कूदना, चलना और फेंकना जैसे खेल शामिल हैं। एथलेटिक्स में अलग—अलग श्रेणी के दो दर्जन से अधिक खेल शामिल हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे की शुरुआत 1996 में इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन (आईएएएफ) ने की थी। 2001 में, इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन का नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कर दिया गया।

आईएएएफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एथलेटिक्स से जुड़े सभी कार्यक्रमों को आयोजित करता है। इससे जुड़े नियम और कानून बनाने का अधिकार भी इसी संस्था के पास है। आईएएएफ उम्र की पाबंदी, लिंग से जुड़े, और डोपिंग से जुड़े नियम बनाता है। उम्र से जुड़े नियम आसान हैं और एथलीट को एक जैसी काबिलियत वाले एथलीट के साथ मुकाबला करने देते हैं। डोपिंग से जुड़े मामलों के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, और उन्हें एक एंटी—डोपिंग एजेंसी चलाती है।

वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाने के पीछे की सोच बेहतर दुनिया के लिए एथलेटिक्स के महत्व को समझाना है। आईएएएफ ने इसे एक सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर लॉन्च किया था। हर साल इस खास दिन को आईएएएफ के नेतृत्व में दुनियाभर के स्कूलों और कॉलेजों में मनाया जाता है। इसके तहत अलग—अलग स्पोर्ट्स आयोजित

किए जाते हैं।

वर्ल्ड एथलेटिक्स डे का उद्देश्य युवाओं में एथलेटिक्स के प्रति रुचि उत्पन्न करना, शारीरिक स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रोत्साहन देना, एथलेटिक्स के माध्यम से जीवन में अनुशासन, धैर्य और प्रतिस्पर्धात्मक भावना का विकास करना और विश्व स्तर पर खेलों में भागीदारी को बढ़ाना है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एथलेटिक्स की अहमियत दिन—प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खिलाड़ी बड़ी मात्रा में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अलग—अलग प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हुए ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल आदि में जगह बनाते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं।

इसके अलावा नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू आदि खिलाड़ियों ने भी ओलंपिक में सफलता प्राप्त कर देश में एथलेटिक्स के प्रति युवाओं को आकर्षित करने में बड़ी भूमिका निभाई है।

भारत और यूरोपीय संघ ने शुरू की 169 करोड़ रुपए की ईवी बैटरी रीसाइक्लिंग पहल, प्रस्ताव 15 सितंबर तक आमंत्रित

नई दिल्ली, 06 मई।

भारत और यूरोपीय संघ ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करते हुए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बैटरियों की रीसाइक्लिंग के लिए तीसरी संयुक्त पहल शुरू की है। यह पहल भारत—ईयू ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल (टीटीसी) के तहत शुरू की गई है। यह कार्यक्रम ग्रीन और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से जुड़े वर्किंग ग्रुप—2 का हिस्सा है, जिसमें प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 तय की गई है।

इस संयुक्त कार्यक्रम के लिए करीब 169 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईवी सेक्टर की एक बड़ी चुनौती.बैटरियों की सुरक्षित रीसाइक्लिंग और जरूरी कच्चे माल की रिकवरी.को हल करना है। इस योजना के तहत फंडिंग का एक हिस्सा यूरोपीय संघ के श्होराइजन यूरोपश प्रोग्राम से आएगा, जबकि भारत में घरेलू भागीदारी को भारी उद्योग मंत्रालय समर्थन देगा।

इस पहल का मकसद आधुनिक रीसाइक्लिंग तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा देना है, खासकर लिथियम, ग्रेफाइट और कोबाल्ट जैसे कीमती पदार्थों को ज्यादा प्रभावी तरीके से निकालने पर ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षित और डिजिटल सिस्टम के जरिए बैटरियों के कलेक्शन को बेहतर बनाने और नई तकनीकों के परीक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

इस योजना की एक खास बात यह है कि देश में भारत—ईयू का एक संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जहां नई तकनीकों का वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण किया जा सकेगा और उन्हें तेजी से उद्योग में लागू किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम उच्च रिकवरी दर हासिल करने, अलग—अलग प्रकार की बैटरियों को संभालने, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने पर फोकस करेगा। साथ ही बैटरियों के दोबारा उपयोग (सेकंड लाइफ) को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

इन प्रयासों से सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और जरूरी खनिजों के आयात पर निर्भरता कम होगी। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने इसे भारत—ईयू रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते ईवी बाजार के साथ मजबूत रीसाइक्लिंग सिस्टम बनाना जरूरी है। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने कहा कि बैटरियां वैश्विक हरित बदलाव का अहम हिस्सा हैं और यह पहल नई तकनीकों को व्यवहार में लाने में मदद करेगी।

अब ऐसे करेंगे डिपॉजिट और विड्रॉल? बदल गए पोस्ट ऑफिस के ये दो नियम

नई दिल्ली, 06 मई।

अगर आपका भी डाकघर (पोस्ट ऑफिस) में खाता है या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। यह बदलाव आयकर नियम, 2026 के तहत किया गया है। अब किसी भी वित्तीय लेन—देन के लिए पैन कार्ड जरूरी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब बिना पैन कार्ड के डिपॉजिट और विड्रॉल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक फॉर्म को लेकर भी बदलाव किया गया है।

नए आयकर नियम, 2026 के तहत पोस्ट ऑफिस और आईपीपीबी में पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। फिर चाहते खाता खोलना हो, पैसा जमा करना हो, पैसा निकालना हो या फिर एफडी और निवेश करना हो। इन सभी कामों के लिए पैन कार्ड जरूरी हो गया है।

दरअसल, सरकार का उद्देश्य है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, बढ़े लेन—देन पर नजर बनी रहेगी और टैक्स की चोरी रोकना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको अब फॉर्म 97 भरना होगा। साथ में पहचान और ट्रांजैक्शन डिटेल देनी होगी।

इसके साथ ही एक और बड़ा बदलाव किया गया है। वह ये है कि फॉर्म 15जी और 15एच अब मिलाकर फॉर्म 121 कर दिया गया है। टैक्सपेयर्स के लिए नया नियम लागू हुआ। इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अगर आपका खाता पोस्ट ऑफिस में है तो ये जानकारी होनी बेहद जरूरी है।

हमारी रोजमर्रा की आदतें बिगाड़ रही हैं पेट की सेहत, समय रहते बदलाव क्यों है जरूरी

नई दिल्ली, 06 मई।

हाल ही में, अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजिकल एसोसिएशन ने कुछ नई गाइडलाइंस जारी की हैं जिनमें बताया गया है कि हमारी खाने—पीने और बाथरूम से जुड़ी आदतें सीधे तौर पर पाचन तंत्र को प्रभावित करती हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अगर पेट रोज सही तरीके से साफ होता रहे, तो हम पाचन संबंधी कई समस्याओं से बच सकते हैं।

हमारे पाचन को ठीक रखने में फाइबर बहुत अहम भूमिका निभाता है। यह मल को नरम बनाता है और उसे आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है। लेकिन सच यह है कि ज्यादातर लोग रोज जितना फाइबर लेना चाहिए, उतना नहीं ले पाते। आजकल लोगों का झुकाव हाई प्रोटीन डाइट की ओर ज्यादा हो गया है। वजन घटाने या फिट रहने के चक्कर में लोग प्रोटीन, खासकर मांस ज्यादा खाने लगे हैं, जिसमें बिल्कुल भी फाइबर नहीं होता है। समस्या यह नहीं कि प्रोटीन खराब है। समस्या यह है कि इस दौड़ में फाइबर वाली चीजें हमारी थाली से गायब होती जा रही हैं। जब इस तरह की उच्च प्रोटीन वाली चीजें हमारे खान—पान का मुख्य आहार बन जाती हैं तो पाचन धीमा पड़ जाता है, जिससे कब्ज और आगे चलकर बवासीर का खतरा बढ़ सकता है।

डॉक्टर साफ कहते हैं कि समाधान बहुत मुश्किल नहीं है। बस अपनी प्लेट में संतुलन लाना होगा, यानी दालें और बीन्स, साबुत अनाज (जैसे दलिया, ओट्स), ताजे फल, हरी सब्जियां, बीज और मेवे। क्योंकि ये सभी चीजें फाइबर से भरपूर होती हैं और पाचन को बेहतर बनाए रखती हैं। अगर ये रोज के खाने में शामिल हों, तो कब्ज की समस्या काफी कम हो सकती है।

दिलचस्प तथ्य जीवन शैली से जुड़ा हुआ यह भी है कि सिर्फ खाना ही नहीं, हमारी बाथरूम से जुड़ी आदतें भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। आजकल एक आम आदत बन

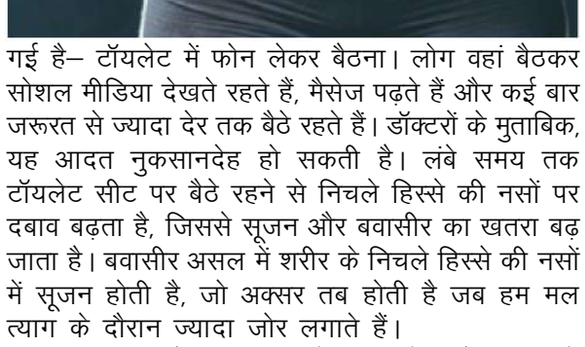

गई है— टॉयलेट में फोन लेकर बैठना। लोग वहां बैठकर सोशल मीडिया देखते रहते हैं, मैसेज पढ़ते हैं और कई बार जरूरत से ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं। डॉक्टरों के मुताबिक, यह आदत नुकसानदेह हो सकती है। लंबे समय तक टॉयलेट सीट पर बैठे रहने से निचले हिस्से की नसों पर दबाव बढ़ता है, जिससे सूजन और बवासीर का खतरा बढ़ जाता है। बवासीर असल में शरीर के निचले हिस्से की नसों में सूजन होती है, जो अक्सर तब होती है जब हम मल त्याग के दौरान ज्यादा जोर लगाते हैं।

बवासीर आमतौर पर कब्ज से जुड़ा होता है। यह भले ही एक आम समस्या की तरह लगे, लेकिन अगर ये समस्या लंबे समय तक बनी रहे या मल के साथ खून दिखे, तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। कई बार लोग इसे सिर्फ बवासीर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है, जैसे कोलन कैंसर। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

अंत में पूरी बात का सार यही है कि हमारी छोटी—छोटी रोजमर्रा की आदतें ही हमारी सेहत तय करती हैं। यह कोई जटिल इलाज नहीं, बल्कि जागरूकता और नियमितता का मामला है और अच्छी बात यह है कि इसे हर व्यक्ति अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकता है।

सीमा सड़क संगठन आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है

नई दिल्ली, 06 मई।

सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस हर साल 7 मई को मनाया जाता है, जो इस गौरवशाली संस्थान के राष्ट्र निर्माण और सामरिक सुरक्षा में योगदान को समर्पित है। 7 मई, 1960 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित यह संगठन आज अपनी स्थापना के 66वें वर्ष (2026) में प्रवेश कर चुका है। मूल रूप से इसे सीमाओं पर सड़क नेटवर्क के त्वरित विकास के लिए एक अस्थायी निकाय के रूप में बनाया गया था, लेकिन इसकी अपरिहार्यता को देखते हुए 1965 में इसे स्थायी कर दिया गया।

वर्तमान में यह भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और इसका नेतृत्व महानिदेशक सीमा सड़क करते हैं, जो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी होते हैं। बीआरओ की कार्यप्रणाली 'श्रमणेन सर्वम साध्यम' (परिश्रम से सब कुछ संभव है) के आदर्श वाक्य पर आधारित है। यह संगठन न केवल भारत के 11 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में, बल्कि भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान जैसे मित्र देशों में भी बुनियादी ढांचे का विकास करता है।

इसकी उपलब्धियों में लद्दाख के उमलिंग ला पास पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण शामिल है, जिसने इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दिलाई। इसके

अलावा, रोहतांग में 'अटल टनल' और अरुणाचल प्रदेश में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के चमत्कार माने जाते हैं, जो कठिन सर्दियों में भी रणनीतिक क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़े रखते हैं। संगठन का महत्व केवल सैन्य आवाजाही तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दुर्गम क्षेत्रों के सामाजिक—आर्थिक विकास और आपदा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

'प्रोजेक्ट दीपक' (हिमाचल प्रदेश), प्रोजेक्ट चेतक (राजस्थान/पंजाब) और प्रोजेक्ट दंतक (भूटान) जैसे इसके विभिन्न अंग स्थानीय समुदायों को स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के अवसरों से जोड़ते हैं। हाल के वर्षों में बीआरओ के बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की राष्ट्रीय प्राथमिकता को दर्शाता है। यह संगठन आज एक ऐसी बहुआयामी निर्माण एजेंसी के रूप में उभरा है जो अत्याधुनिक तकनीक और कठिन मानवीय श्रम के संगम से देश की संप्रभुता की रक्षा सुनिश्चित करता है

भारत के पूर्व में होने पर भी क्यों कहलाता है यह राज्य पश्चिम बंगाल?

नई दिल्ली, 06 मई।

भारत के नक्शे पर अगर पश्चिम बंगाल को देखेंगे, तो वह आपको बिल्कुल पूर्वी छोड़ पर नजर आएगा। इस राज्य का नाम इसकी भौगोलिक स्थिति के साथ एक विरोधाभास है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि भारत के पूरब में बसे राज्य के नाम के साथ पश्चिम क्यों जुड़ा है। अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो इसका जवाब आपको इतिहास के पन्नों और भारत के विभाजन की त्रासदी में छिपा मिलेगा। आइए जानें क्यों पूर्व में स्थित राज्य पश्चिम बंगाल कहलाया।

सदियों तक, बंगाल एक विशाल सांस्कृतिक क्षेत्र था। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में फैला यह क्षेत्र कला, साहित्य और राजनीति का केंद्र था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी, बंगाल प्रेसीडेंसी एक बहुत बड़ा प्रशासनिक क्षेत्र था, जिसमें आज का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और ओडिशा के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय तक इसे केवल बंगाल के नाम से ही जाना जाता था।

बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने विभाजन का दांव खेला। 1905 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की। बंगाल के दो हिस्से किए गए। पूर्वी बंगाल, जिसमें हिंदू बहुमत में थे और पश्चिमी बंगाल, जो मुस्लिम बहुसंख्यक इलाका था।

हालांकि, उस समय भारतीयों के भारी विरोध और स्वदेशी आंदोलन के कारण 1911 में लॉर्ड हार्डिंग ने इस विभाजन को रद्द कर दिया, लेकिन इसने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल की एक राजनीतिक लकीर खींच दी थी। बंगाल के नाम

के साथ पश्चिम शब्द जुड़ने का सबसे बड़ा और अंतिम कारण 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा बना। जब भारत को धार्मिक आधार पर विभाजित किया गया, तो बंगाल प्रांत को भी दो हिस्सों में काट दिया गया।

एक हिस्सा बना पश्चिम बंगाल, जो बंगाल प्रांत का पश्चिमी हिस्सा था और जहां हिंदू आबादी ज्यादा थी। यह हिस्सा भारत के साथ रहा और भारत का एक राज्य बना। बंगाल प्रांत का पूर्वी हिस्सा बना पूर्वी पाकिस्तान, जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। यहीं से पश्चिम बंगाल नाम आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। यहां पश्चिम शब्द अखंड बंगाल के संदर्भ में है, जो पुराने बंगाल का पश्चिमी आधा हिस्सा था।

1971 के युद्ध के बाद, पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर एक नया देश बना, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इसके बावजूद, भारत के इस राज्य ने अपनी ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल नाम को जारी रखा।